320

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, म० प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर

खण्ड पीठ रीवा (म० प्र०)

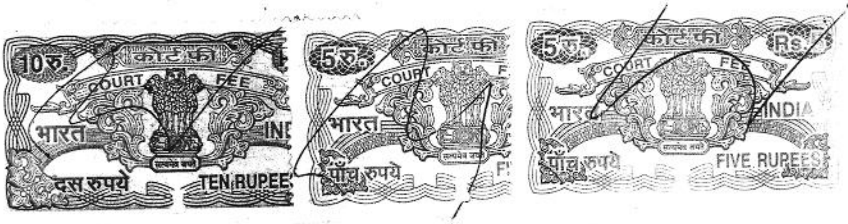

1 := सावित्री देवी पत्नी स्व० शम्भू प्रसाद तिवारी उम्र 56 वर्ष :

2 := रामायण प्रसाद पिता स्व० शम्भू प्रसाद तिवारी उम्र 30 वर्ष :

दोनो निवासी ग्राम = बुरिहा (प्राणनाथ) पो०आ० रतनगवां

थाना व तहसील मऊगंज, जिला = रीवा (म० प्र०)... ..निगरानीकर्ता

बनाम

1 := लल्लू राम व० तनय महेश राम व० निवासी ग्राम = बुरिहा

प्राणनाथ थाना व तह० = मऊगंज, जिला = रीवा म०प्र० /

2 := शासन म० प्र० . . .... . . . .अना०/गैरनिगरानीकर्ता

न्यायालय तहसीलदार साहब तहसील मऊगंज,

जिला = रीवा (म० प्र०) के द्वारा जरिये

राजस्व प्र०क्र० = 41 (अ12) 2011-12 मे पारित

निर्णय दिनांक = 23-1-2012, के विरुद्ध

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू० रा० संहिता 1959 ई० /

अधिवक्ता श्री त्रिपुरारी मिश्रा द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि० 14-9-2012

14.9.12

R-3308-II/12

588
14-9-2012

26-9-12

---

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

==========×===========

यह कि भूमि ख० क्र० = 66/0=483 हे० स्थित मौजा बुरिहा (प्राणनाथ) पटवारी हल्का नरैनी वृत्त मऊगंज, तह० मऊगंज, जिला= रीवा (म० प्र०) निगरानीकर्तागण की पुस्तैनी आबादी निस्तार की भूमि है, जिसमे अर्सा 50=60 वर्षों पूर्व से पुस्तैनी आबादी, निस्तार, कूप, एवं वृक्षादि स्थित है। अनावेदक क्र० = 1 के आवेदन पत्र पर (सीमांकन) वाक्त भूमि ख० क्र० 62/0=259 हे०, 63/0=295 हे०, एवं 64/0=437 हे० तथा 38/1=052 हे० स्थित ग्राम= बुरिहा प्राणनाथ

रामायण तिवारी

(213)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 **3308-II** / 2012 जिला–रीवा

सावित्री देवी / लल्लूराम ब्रा0

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 23.04.19 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पियूषशील मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मउगंज के प्रकरण क्रमांक 41 / अ–12 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 23.01.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मउगंज, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।<br><br>(बी.एम.शर्मा),<br>सदस्य | |